



UPSI180048552022

न्यायालय सिविल जज (जूंडि०), महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-377/2022

बृजरानी

बनाम

रामचन्द्र आदि।

दिनांक: 14.10.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते विरचन वादबिन्दु नियत है। पक्षकारों को धारा 89 सी० पी० सी० के तहत सुलह कराने का प्रयास किया गया किन्तु पक्षकार सुलह हेतु तैयार नहीं हुए। अतः पक्षकारों की ओर से दाखिल अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादिनी, वाद-पत्र में उल्लिखित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति जिसे वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर अ,ब,स,द, से प्रदर्शित किया गया है, स्थित ग्राम पहाड़ापुर, परगना व तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर, की मालिक व काबिज है?
2. क्या वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है?
3. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
5. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
6. क्या प्रतिवादीगण, वादिनी से धारा-35 ए के अन्तर्गत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं?
7. क्या वादिनी किसी भी सहायता को पाने की अधिकारिणी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वादबिन्दु न तो विरचित होता है और न ही अन्य कोई वादबिन्दु विरचित किये जाने हेतु पक्षकारों की ओर से कोई बल ही दिया गया है। अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं०-3,4 व 5 दिनांक 03.12.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जूंडि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

J.O Code-UP3555